

सकाधि-111/सोनपुर के टिप्पणी सं०-ECR/SEEOPERS/COF/1/2020, दिनांक-24.02.2021 के अनुपालन में विद्युत(टीआरओ) विभाग के निम्नलिखित (गुप-सी) लोपा(माल)/विद्युत(टीआरओ), बरौनी वेतनमान-9300-34800+जीपी 4200/-सातवें वेतन आयोग के तहत पेमेंट्रिक्स 35400-112400 लेवल-06 के पक्ष में चिकित्सा विकोटिकृत घोषित होने पर चिकित्सा श्रेणी सी-एक(C-1) में सफल होने एवं अमरेप्र-। महोदय द्वारा अनुमोदन के फलस्वरूप विद्युत(टीआरओ) विभाग में उनके नाम के सामने अंकित वैकल्पिक पद कार्याधी(टीआरओ) वेतनमान 9300-34800+जीपी 4200/- सातवें वेतन आयोग के तहत पेमेंट्रिक्स 35400-112400 लेवल-06 में समान, लेवल, वेतन में मुख्य क्रू नियंत्रक संयुक्त लॉबी/बरौनी के अधीन तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम, पिता का नाम	पूर्व पद, कार्यस्थल, लेवल एवं वेतन	समाहरण पर विद्युत (टीआरओ) विभाग में वैकल्पिक पद, लेवल, वेतन (30% का लाभ देते हुए) एवं पदस्थापित कार्यस्थल	समाहरण पर वेतन का देय तिथि
01.	श्री रवि शंकर सरकार पुत्र-भोला प्रसाद PF NO-27223005630	लोपा(माल)/विद्युत(टीआरओ)/ बरौनी लेवल-6(35400-112400) में वेतनदर-46200/-	कार्याधी(टीआरओ) लेवल-6(35400-112400) 58600+1260 पीपी मुख्य क्रू नियंत्रक संयुक्त लॉबी/ बरौनी	कार्यभार ग्रहण की तिथि से देय

नोट:-1. पदस्थापना आदेश जारी होने पर संबंधित पर्यवेक्षक द्वारा समायोजित किये गये नये पद एवं पदस्थापित स्थान पर योगदान हेतु विरमित नहीं किया जाता है, तो सारी जिम्मेवारी संबंधित पर्यवेक्षक की होगी।

2. पदस्थापना आदेश जारी होने की तिथि से सृजित विशेष अधिसंख्य पद स्वतः समाप्त माना जाएगा। आदेश जारी होने के बाद यदि कर्मचारी द्वारा पदस्थापित किये गये पद पर योगदान नहीं दिया जाता है, तो उस अवधि को अनुपस्थित माना जाएगा और अनुपस्थित अवधि को उनके अवकाश खाते में सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार नियमन किया जाएगा।

पदस्थापना आदेश वमविई(ओपी)/सोनपुर द्वारा पारित है।

(विजय इंजीनियर)

सकाधि-111

कृते मरेप्र(कार्मिक)/सोनपुर

दिनांक-09.03.2021

सं०-का/256/विद्युत/टीआरओ/जी-259/सोन/2019.

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वमविई(ओपी)/सोनपुर, वमविप्र/सोनपुर

2. मयाई(पावर)/सोनपुर

3. मुख्य क्रू नियंत्रक संयुक्त लॉबी/बरौनी-कृपया श्री रवि शंकर सरकार लोपा(माल)/विद्युत(टीआरओ)/बरौनी को समायोजित पद पर योगदान देने हेतु अविलम्ब विरमित किया जाय।

4. मुकार्याधी/बिल/बरौनी

5. संबंधित कर्मचारी, अभिलेख प्रति, कार्यालय प्रति।

6. मंडल मंत्री ईसीआरकेयु, अजा-अजजा एशो0 एवं ओबीसी एशो0 सोनपुर मंडल।

कृते मरेप्र(कार्मिक)/सोनपुर